न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 5453 / 2010 / भरतपुर

1. बच्चू पुत्र स्वर्गीय गोपाल
2. धर्मवारी पुत्र स्वर्गीय गोपाल
3. भगवत सिंह पुत्र स्वर्गीय गोपाल
4. हरदेई पुत्री स्वर्गीय गोपाल
5. हरमती पुत्री स्वर्गीय गोपाल
6. अमीरी पुत्री स्वर्गीय गोपाल
7. किशनी पत्नि स्वर्गीय श्री भागवानसिंह
8. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री भागवानसिंह
9. विजयपाल पुत्र स्वर्गीय श्री भागवानसिंह
10. निरंजन पुत्र छत्तरसिंह
11. फुलवर पुत्र छत्तरसिंह
12. मुकेश पुत्र भूपसिंह

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम तुहिया, तहसील व जिला भरतपुर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. बनैसिंह पुत्र मोहनलाल
2. शिवसिंह पुत्र मोहनलाल
3. प्रेमसिंह पुत्र मोहनलाल
4. उदयसिंह पुत्र मोहनलाल
5. हरीसिंह पुत्र मोहनलाल
6. द्रोपदी पुत्री मोहनलाल
7. सामोल पुत्री मोहनलाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम तुहिया, तहसील व जिला भरतपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर

....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितिः—
श्री जे.के.पारीक वास्ते प्रार्थीगणपक्ष
श्री उमेश कुमार वास्ते अप्रार्थीगणपक्ष

दिनांक : 24-8-11

निर्णय

1. धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे एतद्पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) के तहत विचाराधीन हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 19.8.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

24/8/11

2. निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर के यहां पेश किया। जिसे बाद सुनवाई परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.7.2010 को बहक वादीगण डिक्री किया गया। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने उक्त डिक्री आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील प्रस्तुत की और अपील के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने आदेश दिनांक 19.8.2010 पारित किया। जिससे व्यथित हो कर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल न्यायालय में पेश किया गया है।

3. निगरानी के आधार इस प्रकार बताये गये है कि निगरानी अधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं है अपितु प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री किया था किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने दावे में प्रार्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात पर गौर किये बिना आदेश दिनांक 19.8.2010 जारी किया है, जिसके द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

4. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की संबंधित पत्रावली बलत की गई और दोनों विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थीगण की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री जे.के.पारीक ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.8.2010 में निचली अदालत के निर्णय को स्थगित करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः उक्त आदेश सुस्पष्ट एंव सकारण नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अप्रार्थीगण की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री उमेश कुमार की जवाबी बहस है कि निगरानी अधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित कर अपील में निर्धारित आगामी तारीख दिनांक 12.10.2010 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। न्यायिक दृष्टांत 2005 आरआरडी (1) पेज 498, 2005 आरआरडी (II) पेज 804, 2006 आरआरडी (1) पेज 637 से समर्थन हासिल करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी पक्ष का तर्क है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध धारा 230 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जावे।

7. राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 19.7.2010 का अवलोकन किया गया एंव उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

8. राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मात्र यह आदेश पारित किया है कि आगामी तारीख पेशी 12.10.2010 तक विवादित आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जो आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित किया गया है, वह पूर्णत अंतरिम है और अपील की सुनवाई

व निर्णय अभी होना शेष है। हमारा मत है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील प्रस्तुत होने पर विवादित भूमि पर मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति के अंतरिम आदेश से किसी भी पक्ष को कोई व्यथा नहीं होनी चाहिये। अगर कोई व्यथा प्रार्थी/वादी पक्ष को है तो उन्हें अपना पक्ष न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में आगामी पेशी दिनांक 12.10.10 को प्रस्तुत करनी चाहिये और अपील के शीघ्र निर्णय का निवेदन कराना चाहिये। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क व न्यायिक दृष्टांतों में अवधारित न्यायिक सिद्धांत से हम सहमत है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी का कोई ओचित्य नहीं है। हमारे मत में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का अंतरिम आदेश दिनांक 19.7.2010 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 की मंशा के अनुरूप "निर्णित प्रकरण" नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निगरानी अधीन आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की तथ्यात्मक, विधिक अथवा सेद्धांतिक भूल नहीं की है और उक्त अदेश निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

9. परिणामतः प्रार्थीगण की तरफ से धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायलय में सुनाया गया।

24/8/11
(मूलचन्द मीणा)
सदस्य